दो आरोपी गिरफ्तार

टोंक। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में राजेश विद्यार्थी वृत्ताधिकारी टोंक के नेतृत्व में थाना सदर टोंक की टीम ने दौराने गश्त थाने ईलाके में कार्यवाही करते हुए दुधिया बालाजी से धोला कुआं जाने वाले रास्ते पर पर अवैध तलवार लेकर घुमते आरोपी सुरेश कीर पुत्र नानकराम कीर उम्र 31 साल निवासी अन्नपूर्णा डूगरी को गिरफ्तार किया गया। जिसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में प्रकरण पंजिबद्ध कर अनुसंधान जारी है।

दसवीं बोर्ड परीक्षा में श्रेष्ठ अंक लाने वाले बालक-बालिकाओं की रैली निकाली

किशनगढ़ बास। शिक्षा के क्षेत्र में निरन्तर आगे बढ़ते आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय के बालक बालिकाओं के कदम शिक्षक शिक्षिकाओं के कुशल शैक्षिण प्रबंधन के साथ विद्यालय के बेहतर प्रबंधन को साबित करते हुए किशनगढ़ बास विघालय नई ऊंचाईयों की ओर अग्रसर हो रहा। यह बात

किशनगढ़बास में दसवीं बोर्ड परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ अंक लाने वाले बालका-बालिकाओं की रैली निकाल सम्मान किया।

■ बालक बलिकाओं का सम्मान

सोमवार को आदर्श शिक्षा समिति के जिलाध्यक्ष जी आर यादव ने दसवीं बोर्ड की परीक्षा में श्रेष्ठ अंक हासिल करने वाले बालक बालिकाओं के सम्मान समारोह में कही। आदर्श शिक्षा समिति वें विद्यालय के आयोजित अभिनंदन समारोह में मुख्य अतिथि जी आर यादव ने दसवीं बोर्ड के घोषित परीक्षा परिणाम में मयंक 98.17 , साक्षी चौधरी 95.83 ,प्राची सोनी, सागर मंगलानी 95.17 ,चंचल 93.67 , अभय बत्रा 90.83 , कीर्ति सोनी, भक्ति वालेचा 89.50 अंक प्राप्त करने पर मेघावी विद्यार्थियों का तिलक लगाकर व दुपट्टा साफा पहनाकर सम्मान किया। इस दौरान विद्यालय समिति व मुख्य अतिथि ने शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का भी सम्मान किया गया। शुल्क मेंइस अवसर पर जिला शिक्षा समिति अध्यक्ष जी आर यादव ने बताया कि विद्यालय में 10 व 11 वीं के विद्यार्थियों के लिए फाउंडेशन कोर्स आईआई टी तथा एन ईई टी तथा आरबीएस ई बैंच शुरूकया गया है। इसमें विद्यालय की ओर दसवीं में 95 से अधिक प्राप्त अंक वाले छात्रों को कक्षा 11 व 12 में निशुल्क शिक्षा दिए जाने का निर्णय किया है। 90 से अधिक अंक वाले छात्रों को शुल्क में 30 की छूट की गई है। आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले बालक बालिकाओं के लिए 5 हजार की अतिरिक्त छूट रखी गई है । कार्यक्रम के उपरांत विद्यालय का श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम आने पर मैघावी विद्यार्थियों का विद्या मंदिर की ओर से एक विशाल रैली निकाली गई । रैली विद्यालय से शुरू होकर गंज रोड मुख्य बाजार तोप सर्किल अलवर रोड काले खां बांग नगर पालिका कार्यालय के सामने से होते हुए विद्यालय वापस पहुंची। इस बीच जगह-जगह पुष्प वर्षा कर रैली का स्वागत कर बालक बलिकाओं का मुंह मीठा कराया। रैली के दौरान शिक्षा समिति अलवर के अध्यक्ष जी आर यादव एवं विधालय समिति के अध्यक्ष सतीश महावर, संरक्षक हरमेश, संतोष गोयल, सुरेश अठावाल,अनिल, राजेश कामदार, अमरसिंह नरूका, सुभाष सिंह नरूका, एवं समिति के समस्त पदाधिकारी और विद्यालय स्टाफ व अभिभावक मौजूद रहें।

राकेश विजयवर्गीय का टोंक में भव्य स्वागत

टोंक। अखिल भारतीय विजयवर्गीय वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश विजयवर्गीय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनोद, कोषाध्यक्ष महेश विजयवर्गीय, स्थानीय अध्यक्ष रतनलाल, प्रदेशाध्यक्ष कमलेश विजयवर्गीय डोडवाड़ी के टोंक आगमन पर समाज बन्धुओं द्वारा मंशापूर्ण भूतेश्वर महादेव मंदिर टोंक से ढोल नगाडों के साथ स्वागत करते हुए विजयवर्गीय महासभा भवन टोंक पर उनका साफा एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर मांडलकला की जमीन को बेचान किया, उसको वापस समाज में लाना एवं दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का प्रस्ताव तथा अनादिकृत रूप से जो विजयवर्गीय टोंक जिला समाज समिति बनाई गई है, उसको निरस्त करवाने का प्रस्ताव पारित किया। कमलेश विजय एवं किशन लाल सांखना को अखिल भारतीय विजयवर्गीय वैश्य महासभा एवं प्रदेशं की प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त किया। उन्होंने बताया कि मांडलकला की जमीन को वापस समाज में लाने के लिए जितना भी केस लड़ा जाएगा, इस हेतु महासभा एवं टोंक प्रदेश की संपत्ति को बचाने हेतु एक लाख का चेक महासभा की ओर से दिया, जिसकी संपूर्ण कानूनी कार्यवाही प्रदेश अध्यक्ष एवं उनकी टीम करेंगे।

ट्यूबवेल के पानी से रास्ता जाम

टोंक। ग्राम पंचायल पलाई में टॅयूबवैल के पानी से अवरूद्व रास्ता व अतिक्रमण के चलते कीचड जमा होने से पलाई ग्रामवासियों ने समस्या हेतु अधिकारीगण व जनप्रतिनिधीयों से गुहार लगाई । ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पलाई की सरकारी स्कूल के पीछे से सार्वजनिक टॅयूबवैल से बहने वाले पानी से रास्तें में कीचड जमा होने से रास्ता बन्द हो गया है । जिस हेतु पूर्व सरपंच सोहन लाल धाकड, वार्डपंच बीना देवी, सोजीलाल गुर्जर, चेतराम धाकड, शाहरूख खांन, अंगद मीणा, कन्हैयालाल, छीतरलाल, सोहनलाल, महेश, आदि उक्त समस्या कई बार पंचायत स्तरीय जनसुनवाई में भी मुददा उठाया लेकिन गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर रास्तें को कई सालों से अवरुद्ध कर दिया है। जिसके कारण वर्तमान में रास्तें से पैदल भी निकलना दुस्सार हो रहा उक्त रास्तें से अतिक्रमण हटवाने व समतलीकरण करवाकर सीसी रोड बनवाने को लेकर कई बार ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई, ग्राम सभा की बैठकों में भी प्रस्ताव ले रखा है।

अधिकारी अपने क्षेत्र की सड़कों की रिपोर्ट प्रस्तुत करें : कलेक्टर

दौसा। जिला कलक्टर देवेंद्र कुमार ने सड़क सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों को 'आई रेड' पोर्टल के आधार पर ब्लेक स्पॉट्स एवं अपने क्षेत्र की रोड का विश्लेषण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर सोमवार को यहां जिला कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिले में सुरक्षित एवं सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा कर अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे।

दौसा जिला कलक्टर देवेंद्र कुमार ने सड़क सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों को अपने क्षेत्रों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने आदेश दिए।

जिला कलक्टर देवेंद्र कुमार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं अन्य रोड एजेंसियों के अधिकारियों से कहा कि वह मौका स्थल पर जाकर 'आई रेड' पोर्टल के आधार पर ब्लेक स्पॉट्स एवं दुर्घटना के दृष्टिकोण से रोड का निरीक्षण करें। डेटा का विश्लेषण कर दुर्घटना स्थान चि ित करें और दुर्घटनाएं रोकने के लिए दीर्घ एवं लघुकालिक उपाय सुझाते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने सभी हितधारक विभागों को 'आई रेड' पोर्टल पर सड़क दुर्घटनाओं की एंट्री समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने परिवहन विभाग एवं पुलिस को संयुक्त रूप से एक्सप्रेस-वे का निरीक्षण कर दुर्घटना संभावित स्थलों को चि ित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने आगामी बरसात की मौसम के दौरान रात्रि में हाइवे पर मवेशियों के बैठे रहने से होने वाली समस्या पर चर्चा करते हुए पशुओं को शिफ्ट करने और रिफलेक्टर लगाने के निर्देश दिए।

उन्होंने जिला परिवहन अधिकारी को राष्ट्रीय राजमार्ग पर जिला कलक्ट्रेट चौराहे के आसपास वाहनों के चालान बनाने की कार्यवाही नहीं करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर परिषद् आयुक्त एवं यातायात प्रभारी को शहर की सुचारू यातायात व्यवस्था के लिए नियमित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक सागर, नगर परिषद् आयुक्त कमलेश मीणा, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता एमएल मीणा, जिला परिवहन अधिकारी संजीव भारद्वाज, यातायात पुलिस प्रभारी गोपाल शर्मा, 'आई रेड' प्रभारी वीके शर्मा तथा एनएचएआई, सार्वजनिक निर्माण विभाग, यातायात विभाग सहित संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी मौजूद थे।

पावटा में दिन में भी जलती है रोड लाइटें

पावटा । चोरी-छीजत और बकाया राशि से जूझ रहे बिजली विभाग को बिजली की बर्बादी भी भारी पड़ रही है। इसका नमूना पावटा प्रागपुरा नगरपालिका क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। यहां नगरपालिका की ओर से लगाई गई रोड लाइटें दिन में सूरज को उजाला दिखाती नजर आती है। कई इलाकों में दिनभर रोड लाइट जलती रहती है, लेकिन इनको बंद करने की जहमत कोई नहीं उठाता। कई इलाकों में रात में रोड लाइट नहीं जलती है और अंधेरा पसरा रहता है। इसके बावजूद नगरपालिका के अधिकारी बेफिक्र बने हुए हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों को भी इससे कोई सरोकार नजर नहीं आता है। ऐसे में बिजली की बर्बादी होती है। पावटा कस्बे के मुख्य चौराहा पर लगी हाईमास्क लाइट व मुख्य मार्ग सहित कई कॉलोनियों में दिन में रोड लाइट जलती देखी जा सकती है। पावटा कस्बे के विभिन्न स्थानों पर नगरपालिका की ओर से हाईमास्क व स्ट्रीट लाइट लगाई हुई है जिनको दिन में कस्बे को प्रकाशित करते देखे जा सकता है।

■ कई इलाकों में रात में रोड लाइट नहीं जलती है और अंधेरा पसरा रहता है। इससे बिजली की बर्बादी हो रही है

निवाई में नि:शुल्क ग्रीष्म कालीन शिविर शुरु

निवाई। सम्यक ज्ञानशाला के तत्वावधान में समर कैंप 2025 का शुभारंभ हुआ। सूर्यप्रकाश कंवरिया ने बुद्ध वंदना करने के साथ ज्ञानशाला के पूर्व सदस्य प्रधानाध्यापक कमल प्रकाश के निधन होने पर उनकी याद में भगवान बुद्ध वंदना करवाई। योगराज गंगवाल ने सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछते हुए एक प्रतियोगिता की शुरुआत करवाई। किशन संगत व रमेश बैरवा ने बाल अधिकार, बाल श्रम, बाल अपराध, गुड टच बेड टच की जानकारी देते हुए बच्चों चॉकलेट देकर उनका अभिवादन किया। उन्होंने बताया कि यह समर कैंप पूरे माह चलेगा जिसमें प्रकृति को कैसे बचाए, चित्रकला, यातायात के नियम, स्वस्थ स्वास्थ्य आदि के बारे में बताया जयेगा।

समाज को जागरूक किया

निवाई । अखिल भारतीय रैगर महासभा टोंक के नेतृत्व मे बहुउद्देशीय महासभा आपके द्वार अभियान का समापन हुआ है। महासभा के जिलाध्यक्ष शंकरलाल हाथीवाल ने बताया कि महासभा की जिला एवं तहसील क्षेत्र देवली की टीम के साथ 30 गाँवों में महासभा आपके द्वार अभियान के तहत समाज को सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। समाज की जनगणना एवं ग्रामवार सरकारी व निजी क्षेत्र के अधिकारी व कर्मचारियों की सूचियां तैयार की गई। प्रत्येक गाँव में महासभा के अधिक से अधिक नए सदस्य बनाए, पाखंड, अंधविश्वास एवं आडंबरों के विरुद्ध समाज में चेतना पैदा की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय महासभा द्वारा दहेज के सामान का प्रदर्शन नहीं करना एवं सिंवाला पर दहेज की सूची पढक़र नहीं सुनाने, बारात में डीजे बंद करने, बारतियों 200 से अधिक बारातियों को नहीं लाने, गार्डन व गैलरी में प्रिवैडिंग फोटो लगाने पर प्रतिबंध, मायरा व जामना पर साथ जाने वाले भाई बंधुओं को कपड़ों की बजाय नकद राशि देने, जामणा को बंद करने, नहावण पर पांच कपडे ही देने, महिला की मृत्यु होने पर पीहर एवं पुरुष के ससुराल का ही कफन लेने, दाह संस्कार में अन्य रिश्तेदार केवल नारियल लाने सहित कई कुरुतियों को बंद करने के लिए समाज को जाठात करने का कार्य किया है। अभियान में जिला उपाध्यक्ष, ओमप्रकाश धवलपुरिया, देहात अध्यक्ष महेन्द्र कांसोटिया, शहर अध्यक्ष यादवराय बदलोटिया, जिला सचिव रमेशचंद नरानिया,पप्पूलाल, बनवारीलाल कंवरिया, तुलसीदास एवं सीता देवी सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे।

शाहपुरा में सेवा समिति का परिंडे लगाओ महाअभियान शुरु

शाहपुरा । कस्बे की सामाजिक कार्यों में अग्रणी संस्था जय श्री राम सेवा समिति की ओर से गर्मी के मौसम मे पक्षियों को प्यास से बचाने के लिए परिंडे लगाओ महाअभियान का परमानंद धाम महाराज हरिओम दास की अपील पर शुभारंभ किया। कस्बे में जगह - जगह परिंडे बांध नियमित पानी से परिंडो भरकर रखने की जिम्मेदारी तय की गई। परिंडो की व्यवस्था एडवोकेट सीताराम नोसादर की ओर से की गई। समिती अध्यक्ष नवल टेलर ने बताया कि गर्मी के मौसम मे मनुष्य तो कहीं से भी किसी भी जगह हो पानी की व्यवस्था कर अपनी प्यास बुझा लेता है लेकिन पक्षी पानी के अभाव मे तड़प तड़प कर मौत के शिकार हो जाते है। गर्मी के मौसम में पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। समिती सदस्य धर्मपाल यादव, लोकेश सामोता ने बताया कि इस मौके पर गायों के पानी की व्यवस्था के लिए टंकी रखवाई गयी। इस महाअभियान को इसी क्रम में अधिक से अधिक जीव जंतुओं के लिए पानी की व्यवस्था के लिए बढाना है।इस मौके पर मोनू सैनी, दशरथ गुर्जर, याकूब खान, कैलाश सैनी, पूरण गुर्जर, राकेश चौधरी,भीमाराम यादव, कालू सोनी, सुरेंद्र सैनी समेत अनेक मौजूद थे।

शाहपुरा जय श्री राम सेवा समिति की ओर से कस्बे में परिंडे लगाओ अभियान शुरु किया गया।

रामराय मीणा अध्यक्ष बने

निवाई । ग्राम पंचायत बिडोली कार्यालय पर नवीन स्वीकृत बिडोली जीएसएस की कार्यकारणी के चुनाव को लेकर सभापति गोपीचन्द मीणा की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई।

जिसमें सर्व सम्मति से रामराय मीणा को आध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया। इसी प्रकार कार्यकारणी में उपाध्यक्ष के पद पर सूरजमल शर्मा एवं सदस्य रघुवीरसिंह, गोपीचन्द मीणा, किशनलाल गुर्जर, गंगासहाय शर्मा, भगवतीप्रसाद शर्मा, हरिनारायण शर्मा, किशनलाल मीणा, मदनलाल बैरवा, पुष्पा कंवर व भागुती देवी को मनोनीत किया है।

सेवानिवृत्ति पर वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष शेखावत का सम्मान

श्रीमाधोपुर । राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अजीतगढ़ के प्रांगण में वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष महेन्द्र सिंह शेखावत की सेवानिवृत्ति पर भावभीनी विदाई का भव्य आयोजन हुआ। 32 वर्ष 9 माह की गौरवमयी बेदाग राजकीय सेवा देने के बाद अपने चहेते राज्यकर्मी को विदा करने जैसे समूचा अजीतगढ़ कस्बा ही उमड़ पड़ा हो ऐसा प्रतीत हो रहा था।

प्रधानाचार्य सुमन गोठवाल व उनके स्टाफसाथियों के साथ-साथ विद्यार्थियों,अन्य विद्यालयों से पधारे प्रधानाचार्यों -शिक्षकों, गणमान्य नागरिकों, भामाशाहों एवं मेल-मिलाप वालों की भीड़ देखते ही बन रही थी। अजीतगढ़ मुख्य ब्लाक शिक्षाधिकारी सुरेश कुमार शर्मा जो स्थानान्तरित होकर जोबनेर -जयपुर चले गए हैं उनकी भेजी ओडियो क्लिप खासी चर्चा में रही जिसमें उन्होंने शेखावत की जन्मकुंडली संगीतमय अंदाज में प्रस्तुत की।

वयोवृद्ध शिक्षाविद् घनश्याम पारीक सहित अनेकानेक वरिष्ठजनों ने शेखावत के कार्यों की सराहना की। वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष होने एवं नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तकों के नोडल अधिकारी होने की वजह से विद्यालय का हरेक विद्यार्थी एवं आसपास की स्कूलों के नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तक प्रभारी शेखावत से जुड़े हुए थे। विद्यार्थियों एवं स्टाफ साथियों के साथ-साथ शेखावत का व्यवहार अभिभावकों से भी मैत्रीपूर्ण ही रहा।सही मायने में वे हरदम भामाशाह प्रेरक की भूमिका में रहे। 6 मई,1965 को मूण्डरु में जन्मे शेखावत ने एमकाम के बाद 2 सितम्बर,1992 में राजकीय माध्यमिक विद्यालय रायपुर पाटन में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर प्रथम नियुक्ति ली।

कार्यालय उपायुक्त (मुरलीपुरा जोन) नगर निगम ग्रेटर, जयपुर
क्रमांक- मु.जो. /ननिज/2025/354 दिनांक- 02.06.25
सार्वजनिक सूचना
भूखण्ड सं. डी-50-बी, स्कीम नं. 17 (सिन्धु नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड) जयपुर का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा श्रीमती भगवती वर्मा पत्नी श्री मुरारी लाल वर्मा के नाम क्षेत्रफल 239.34 वर्गगज भूमि का पट्टा विलेख जारी किया गया था। प्रकरण में आवेदक श्रीमती सुनीता कुमारी शर्मा पत्नी श्री सतीश शर्मा द्वारा शपथ पत्र (अण्डरटेकिंग), पंजीकृत पट्टा मय साइट प्लान की फोटो प्रति, रजि. विक्रय पत्र एवं अन्य चैन दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूखण्ड का स्वयं के नाम से नाम हस्तांतरण चाहा गया है। आवेदक द्वारा उपलब्ध करायें गये दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूखण्ड श्रीमती सुनीता कुमारी शर्मा पत्नी श्री सतीश शर्मा के पक्ष में कुल क्षेत्रफल 239.34 वर्गगज का नाम हस्तांतरण जारी किया जाना है। उक्त भूखण्ड के नाम हस्तांतरण बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद विधिवत नियमानुसार नाम हस्तांतरण की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।
उपायुक्त मुरलीपुरा जोन, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

कार्यालय उपायुक्त सिविल लाईन जोन, नगर निगम जयपुर हैरिटेज
क्रमांक-एफ-56( )सि.ला.जो./ननिज/2025/555
अनापत्ति आमंत्रण सूचना दिनांक-28/05/2025
भूखण्ड संख्या 137 कमला नेहरू नगर हसनपुरा सी जयपुर का पटटा नगर निगम जयपुर द्वारा श्री बाबू लाल पुत्र श्री नारायण शर्मा के नाम से जारी किया गया था। श्री बाबू लाल की मृत्यु पश्चात इनके वारिसानों द्वारा उक्त भूखण्ड का हकत्याग श्री राजेश कुमार शर्मा पुत्र श्री रामबाबू एवं कैलाश चंद शर्मा पुत्रान बाबू लाल के हक में किया गया है। श्री राजेश कुमार शर्मा पुत्र श्री रामबाबू एवं कैलाश चंद शर्मा पुत्रान बाबू लाल द्वारा जरिये विक्रय पत्र के उक्त भूखण्ड का बैचान श्री रहमत अली पुत्र माशुक अली को किया गया। श्री रहमत अली द्वारा जरिये विक्रय पत्र के उक्त भूखण्ड का बैचान मुहम्मद जुनैद पुत्र श्री अब्दुल जब्बार को किया गया। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर उक्त भूखण्ड का नाम हस्तातरण चाहा गया है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण मुहम्मद जुनैद पुत्र श्री अब्दुल जब्बार के नाम से जारी किया जाना है। किसी संस्था, फर्म, कम्पनी व किसी भी व्यक्ति को उक्त नान हस्तान्तरण के संबंध मे आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षकर्ता के कार्यालय मे सात दिवस मे आपत्ति पेश करे अन्यथा सात दिवस पश्चात उक्त भूखण्ड मे नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।
उपायुक्त, सिविल लाईन जोन नगर निगम जयपुर हैरिटेज

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर -0141-4901853
क्रमांक-1526 दिनांक-21/05/25
आम जाहिर सूचना
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर आवास संख्या - 1/1092 मालवीय नगर जयपुर, क्षेत्रफल 44.00 वर्ग मीटर का आवंटन श्री बाल कृष्ण गुप्ता पुत्र श्री राम कुमार को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 9670 दिनांक 07.02.1983 जारी किया गया था। उनके द्वारा आवास के पंजीयन प्रपत्रो का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक जयपुर प्रथम मे दिनांक 28.04.2007 को करवाया गया। तत्पश्चात श्री बाल कृष्ण गुप्ता पुत्र श्री राम कुमार के द्वारा उक्त आवास का वैचान जरीये विक्रय पत्र के श्री योगेश कुमार पुत्र श्री मोहन लाल को कर, विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर द्वितीय मे दिनांक 09.11.2012 को करवाया गया। श्री योगेश कुमार पुत्र श्री मोहन लाल के द्वारा उक्त आवास का मूल आवंटी के नाम पंजीयन हो जाने के बाद पश्चातवर्ती अंतिम क्रेता का नाम मण्डल अभिलेख में दर्ज करने बाबत निवेदन किया गया है। अतः नाम दर्ज के संबंध मे किसी भी व्यक्ति/ बैंक / संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञिप्त प्रकाशन के 07 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्री योगेश कुमार पुत्र श्री मोहन लाल का नाम मण्डल रिकार्ड मे दर्ज कर दिया जायेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत तृतीय, रा.आ.म. जयपुर

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4
न्यायालय अपरजिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम 9 जयपुर महानगर द्वितीय
मंगलराम बनाम मुन्नालाल व अन्य
प्रार्थना-पत्र संख्या 70/2023 सन् 2023
मुन्ना लाल पुत्र श्री भूराराम, प्रहलाद पुत्र श्री रामप्रताप, गणेश पुत्र श्री रामप्रताप, मांगी देवी पत्नी आनंदी लाल, नवरत्न पुत्र आनंदी लाल, शंकर पुत्र आनंदी लाल, हनुमान सहाय पुत्र गोदूराम, मन्नी देवी पत्नी कल्याण
समस्त निवासी गण सजंय बजार, घाटगेट कोने पर स्थित हवेली पुलिस थाना रामगंज जयपुर एवं ग्राम विशन सिंह पुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर (राजस्थान)
उक्त ..ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि....
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 18 माह 07 सन् 2025 को 10.30 ए.एम. पूर्वाह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।
यह कि आज दि.31/5/25 को न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
वरिष्ठ रीडर
मोहर अदालत
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम-9 जयपुर महानगर द्वितीय

संख्यांक 2
विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश-5 के लिए नियम-1 ओर 5)
न्यायालय अपरजिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम 9 जयपुर महानगर द्वितीय
मंगलराम बनाम मुन्नालाल व अन्य
दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा
वाद सं. 76/2023 सन्
मुन्ना लाल पुत्र श्री भूराराम, प्रहलाद पुत्र श्री रामप्रताप, गणेश पुत्र श्री रामप्रताप, मांगी देवी पत्नी आनंदी लाल, नवरत्न पुत्र आनंदी लाल, शंकर पुत्र आनंदी लाल, हनुमान सहाय पुत्र गोदूराम, मन्नी देवी पत्नी कल्याण समस्त निवासी गण सजंय बजार, घाटगेट कोने पर स्थित हवेली पुलिस थाना रामगंज जयपुर एवं ग्राम विशन सिंह पुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर (राजस्थान) के आपके विरूद्ध. के लिए वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 18 माह 07 सन् 2025 को दिन में 10.30 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से संबंधित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा को लिखित कथन दाखिल करे और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करे जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिवाद आधारित है, और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो या न हो, अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समथन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजी को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रतिष्ट करे।
आपको सूचित किया जाता है कि ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वादी की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह आज दिनांक 31 माह 05 सन् 25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया।
वरिष्ठ रीडर
मोहर अदालत
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम-9 जयपुर महानगर द्वितीय

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/365 चूंकि प्रार्थी श्री विनोद कुमार सैनी, वार्ड नंबर 6, धर्मपुरा, सीकर, राजस्थान 332709 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास सर्वसमाज धर्मपुरा फाउण्डेशन, प्लाट नंबर 90, बजरंग विहार, बी-ब्लॉक, लक्ष्मीनारायणपुरा, रतनमाला आश्रम, हरमाड़ा, जयपुर के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 30-05-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 01/08/2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

NAME CHANGE
I, Pawan Kumar Garg S/o Hem Kumar Garg R/o Devi Singh Sarpanch Ki Haveli, Mahoo Khas, Karauli, Rajasthan - 322254, have changed my minor daughter's name from Pihu Garg aged 03 months to Pahal Garg forever

खोया पाया
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की आवासीय योजना-धर्म विहार, कालवाड रोड, जयपुर के प्लॉट नम्बर 101 का मूल आवंटन पत्र, मूल कब्जा पत्र कहीं गुम हो गया है। मिलने पर सूचित करें। अमित टाक, मोबाईल नम्बर 9672143666
मेरे प्लाट नं-26/24 सुभाष कॉलोनी जयपुर के का जे.डी.ए. से जारी मूल साईट प्लान जयपुर मे कही खो गया है सूचित करे मोहम्मद शकूर मो. 7891124788

COLLEGE OF AGRICULTURE
(S.K.N. Agriculture University-Jobner), Bhusawar : Bharatpur (Rajasthan)-321406
No. : F.( )/COAB/Estt./2025/160 Dated :- 30/04/2025
NOTICE INVITING BID
Bid for open tender regarding hiring manpower (Agriculture Purpose) are invited from interested bidders up to 11.00 AM, 12.06.2025. Particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://sppp.raj.nic.in) of the state or www.sknau.ac.in University website.
NIB Code SKN2526A0071 and UBN is SKN2526SSOB00071
Raj.Samwad/C/25/3394 DEAN

कार्यालय ग्राम पंचायत दादिया प.स. सांगानेर, जयपुर
क्रमांकः 31 ई- निविदा सूचना 02/2025-26 दि.: 30.05.2025
ग्राम पंचायत दादिया में राजस्थान पंचायतीराज नियम 181 के तहत नियमानुसार ई- प्रोक्योंमेंट पद्धति से निर्माण कार्य/ संकर्मो कराये जाने के लिए सक्षम श्रेणी एवं माल व सेवाकर अधिनियम 2017 के अंतर्गत पंजीकृत एवं अनुभवी संवेदकों से सिंगल स्टेज द्वि-लिफाफा पद्धति में ऑललाईन दरें आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण http://sppp.rajasthan.gov.in व http://eproc.rajasthan.gov पर देखी व डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है।
NIB -PEZ2526A0026, UBN- PEZ2526WSOB00030
ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत दादिया
सरपंच ग्राम पंचायत दादिया

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
क्षेत्रीय कार्यालय, अलवर
सुनवाई अंतिम नोटिस
श्रीमती जलज कटारिया, प्रबंधक, क.कू.स, 110533, वर्तमान पदस्थापना, बैंक ऑफ बडौदा, मालवीय नगर शाखा, अलवर, अलवर क्षेत्र, स्थाई पता : 24 टैगोर नगर, डीसीएम, अजमेर रोड